प्रेषक,

नीता चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–2 लखनऊः दिनाँक–25 नवम्बर, 1991

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों / भूखण्डों / दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3840 / 11–5–86–18मिस / 78, दिनांक 4 जून, 1986 एवं शासनादेश संख्या–3090 / 11–5–18मिस / 78, दिनांक–7 जुलाई, 1989 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून, 1986 में निम्न प्रकार से परिवर्तन किये जाते है :–

(1) आरक्षण की मद संख्या–5 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, स्थानीय निकायों के कर्मचारी के लिये उपलब्ध 5 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर 2 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।

(2) भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को 3 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए।

कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून, 1986 को उक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

नीता चौधरी
विशेष सचिव।

संख्या :– 2905(1)/37–2–91–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग।
2. सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–1
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव